#### Encl.-01

It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Thangdhar - Thauldhar Motor Road, Length 7.775 Km. regarding FRA is as follows:-

CH NT		Remark
(a)	identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.9925—hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure.	Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. In objection certificate concerned villages regarding construction of aforesail motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Triba Group and Pre-agricultura communities.	as there are no ashadule

श्रीमती सर्सवती रावत जिला पंचायतस्पदस्य टिहरी पढ़िवालत तिखोन विश्वा थोलधार (टि०ग०)

सहाध्यक समाज कल्माण अधिकारी टिहरी गढ़वाल प्रमागीय वस्त्रधिकारी टिहरी गढ़वाल टहरी वन असार

(कसम राणा)

स्दर्य जिला पंचायत दाई-9 (जीलंगी) वि०स०-थोलधार (टि०ग०) Signature (Full name and official seal of the District collector)

जिला स्वामान्य स्वामा अमिश्वीरी विस्ती गतवाल नरेन्द्र नगर (इन्दुष्टर बौड़ाई) जिला अधिकार देहरी गढ़वाल।

अनिवार्य संलब्धा । 6

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में मारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अमिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

#### FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No--- 3758/xx/ -137 (2015-16)

Dated 30/9/16

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.9925 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Chamba (T.G) (name of user agency) for Construction of Thangdhar - Thauldhar Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Nair, kainthogi, Barwal goan and qulagi villages in kandisaur tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.9925** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been

completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; the proposal does not involve reognised rights of Primitive

Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(c)

(इन्दुर्घर बौड़ाई) ज़िला अधिकारी

Signature गढ़वाल।

(Full name and official seal of the District Collector)

#### FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Tehri

No--- 3758/XXVI-137 (2015-16) TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Dated-30/9/16

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified the 2.9925 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Chamba (T.G) (name of user agency) for Construction of Thangdhar - Thauldhar Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Nair, kainthogi, Barwal goan and qulagi villages in kandisaur

It is further certified that:

tehsils.

(b)

(d)

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure ...

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the

FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of

Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

NewTeho

Dated:....

जिला अधिकारी

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

# परियोजना का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण। कार्यालय उप जिलाधिकारी, टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक-

दिनांक-

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, न्याय पंचायत क्षेत्र क्यारी । **वरवालकार्व** 

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में मान, नीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

\_ श्री **खुजेश ऋगार तियारी** उपजिलाधिकारी टिहरी कर्डी शीड

2- श्री बिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी

3- श्री जी अभिकारी विस्थे श्रीवधार

4- श्री जीमप्रकाश भह

बी०डी०सी० क्षेत्र वरवालगाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी स्वितन प्रभागीय स्वत्य अवस्था

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान समा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत ठांगधार —थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण परियोजना हेतु शु. १९२२ हैं वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **नई टिहरी** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड कन्डीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 2.19.15 है। वन भूमि लोक निर्माण विभाग चम्बा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील क्ष्मिन्तिपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-कुड्योन्नपद टिहरी गढ़वाल। परियोजना का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम **बरवाल गांव** तहसील **कन्डीसौ**ड़ जिला **टिहरी गढ़वाल** 

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (2:9935. हे० आरक्षित वन भूमि ) अर्थात कुल 3:9935. हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरवाल गांव द्वारा दिनांक श्रीपिक सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्राम पंचायत बरवाल गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित परियोजना का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक 20/4/20/4को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

#### ग्राम पंचायत बरवाल गांव

	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
कमांक		
1	आजादासह न्दोहान	Shows
2.		स्वस्ट
3-	जसपालिंग चांद्यन	जलपाला विह
ч.	मस्यास्ह प	HATHE
	हिंचभास्ह , त	Elmines
	सुदेशास्ट ५	\$521196
,	वलदेवासह	पान देव सिंह
8	रामासंह 4	राग्रह
9	3मदासह	349 193
10	दयालास्ट- प	GUINITE
1] -	अनिलार्श ह ।	31110126
12	विजयासह ५	JEL UT 4/2+2
13	रुपास्ट प	RSM
14	त्रवासंहत त	In Contract of the Contract of
, (		



प्रारुप-11 अभिवायिक्येलाउन्दु 1.5

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण

#### वनभूमि की मॉग का औचित्य एवं विवरण

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में ठांगधार—थौलधार मोटर मार्ग में इस क्षेत्र मे रहने वाले को यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 89 / लो०नि०–1 / 2004 –06 (प्रा०आ०) / 2004 विनांक 6.2.2004 के द्वारा 10.00 किमी ल०. लागत 139.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

यह मार्ग चम्बा मसूरों मोटर मार्ग के किमी० 15 से प्रारम्भ होता है। तथा मार्ग की कुल लम्बाई 7.77 किमी० है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.275 कि.मी. लम्बाई मे आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.9925 हे0, तथा 3.500 कि.मी. लम्बाई मे नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.45 हे0 है, की आवश्यकता है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ—साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम क्षेत्रवासियों के लिये यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 7.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गिनती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमे आरक्षित वन भूमि के साथ सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि में स्थित कुल 144 वृक्ष आ रहे हैं, जिसमें बॉज, अंयार एवं काफल प्रजाति के कोई भी वृक्ष नहीं आ रहें हैं। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संल नहीं) प्रस्ताव में वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है।

मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूचि निम्न प्रकार है-

क0सं0	ग्राम	कोड	आवादी
1	बरवालगांव	003999200	425
2	क्यूलागी	00399300	739
3	नैर कैथोगी चक	00397900	62

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :--

1 आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल —

2.9925 हे0 (लम्बाई 4.275 कि0मी0)

2 नाम भूमि का क्षेत्रफल -

2.45 हे0 (लम्बाई 3.500 कि0मी0)

अपर सहायक किनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि० चम्बा। सहिद्यम् अभियुन्ता मिमाण खण्ड, लॉर्जनिर्जिद इम्बा धम्बद्दी-गढुनाब)

अधिशासी अभियन्ता मिर्माण खण्ड, लोठनि०वि० चम्या, चिम्बा॰ (य॰ ए॰)

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, टिहरी। बच्छी सीड्र

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक 25 प्रिकार को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु 2.9925 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी टिहरी की अध्यक्षता मे हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:—

कम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1 -	श्री चुलरा सुमार तिवारी	उप जिलाधिकारी, <b>काडीसीड</b>	Varys
	w		
2	श्री के में ह	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी	Cr1
		रा	प प्रभागीय वंनाधिकारी नीचौरी उप वन प्रभाग
3	श्री जी न्यी न्यनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, : <b>•ेोलज</b> र	-8/amujar 11-16
4	श्री ओमप्रकाश शह	वी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य न्याच्या <b>वश्वाच्याव</b>	्रीक्स्मण्य संदस्य
			क्षेत्र पंचायत बरवाल गाँव वि०ख० थौलघार, टि०ग०

परियोजना का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम क्यूलार्ग (नेर् नेथोर्ग) तहसील कन्डी औड़ जिला टिहरी गढ़वाल

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (2.9925 हे0 आरक्षित वन भूमि ) अर्थात कुल 2.9925 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यूलागी द्वारा दिनांक आवेदित वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी भैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्राम पंचायत क्यूलागी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ढांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक 20 4/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

#### ग्राम पंचायत क्यूलागी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ामवासियों के नाम	<b>ह</b> स्तादार
D	न्भीमती अञ्चिल देशी गामप्रदान	शशीला हैवी
2	-स्तर सिंह नेती एवं प्रधान	- पत्र । मिह
3	नुकेन अमि इकि	A1-0 MS
@	RESTANTION	locam &
3	न्यामती हीना हालूनी लाडसहर्ष	Ania d
(6)	न्य-वासह नेत	-90
0-	THAT THEY	Mame
9 -	God i Rie signi	at-nous fr
19 -	विकाम सिंह जाएँ	Alm 1
0	नारवं सिंह गर्	CHEONY
(i)	BILLING RECTIEN	आणाद कि
	N	land -
(13)	enville ?	NO
(3)	3142168	क्रिया क्रायत क्रायत
(ID) S	द्यानाम् न्या मिन्	रे किया राष्ट्रीट्या देवे
1	(भिन्न	1 1 1
		A COURT HIN TELL TORREST
		शुमीत्ना देवी